

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या — 3/स्था०(6) 24/2022 —

/ पटना — 15, दिनांक —

सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प संख्या—10000, दिनांक—10.07.2015 के कंडिका—3 (2) (क) (v) में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—914, दिनांक—28.02.2023 द्वारा संविदा पर नियोजित श्रीमती लीला देवी, सेवानिवृत्त कार्यालय परिचारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संविदा नियोजन अवधि को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—708, दिनांक—17.02.2025 के द्वारा दिनांक—01.03.2025 से 28.02.2026 तक 01 (एक) वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने के आलोक में दिनांक—01.03.2025 के पूर्वाह्न से उनका योगदान स्वीकृत किया जाता है।

2. श्रीमती देवी के संविदा मानदेय राशि का भुगतान उनके द्वारा योगदान समर्पित किये जाने की तिथि दिनांक—01.03.2025 के पूर्वाह्न से किया जायेगा।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव।

संख्या — 3/स्था०(6) 24/2022 —

/ पटना — 15, दिनांक —

प्रतिलिपि — महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव।

संख्या — 3/स्था०(6) 24/2022 —

/ पटना — 15, दिनांक —

प्रतिलिपि — अवर सचिव (स्थापना प्रभारी)/लेखा शाखा, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में एवं श्रीमती लीला देवी, कार्यालय परिचारी (संविदा नियोजित), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव।

संख्या — 3/स्था०(6) 24/2022 — 1311

/ पटना — 15, दिनांक — 20/03/2025

प्रतिलिपि — आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/03/25

सरकार के अवर सचिव।